तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
2. 03/17	वकील पत्रावली उप/ प्रति के 1 व 2 की ओर से जवाब पत्र प्रस्तुत किया गया जो नामिल है। पत्रावली वास्ते जवाब नोट अग्रेतरी दिनांक 28/4/17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)
28/04/17	वकील पत्रावली उप/ प्रति के 3 व 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत करीब अरसा लम्बी जवाब हेतु उनको कई मर्तबा से आ चुके हैं। अतः प्रति के 03 तथा 04 का जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दि. 01/5/17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)
01/05/17	वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप०/अनु०पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्रा०पं० पड़ोलाई में दिनांक 31.5.17 को पेश है। उपखण्ड अधिकारी, टोंक
आदेश	पत्रावली राजस्व लोक अदालत के रूप में पेश हुई। पक्षकारान अर्थात् वकील प्रार्थी/अप्रार्थी अरसा लम्बा कई मर्तबा से बाद में वकील पक्षकारान बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं अतः नोट बन्द किया जाता है। पत्रावली का भाव पूर्वक अवलोकन किया गया मूल वाद के बिन्दुओं पर पूर्वक से निर्णय किया जाता है। T.I. की आवश्यकता नहीं। अतः आदेश T.I. खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल सुनवाई अन्तिम बाद में शामिल की जावे। (श्री एस.के. नेगी) RAS उपखण्ड अधिकारी टोंक

Scanned by CamScanner